कार्य अनुक्रम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

सुनीता व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

[illegible] 24.2024 (253)

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

[illegible].2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री [illegible] शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब आदेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना-पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि कि वास्तविक स्थिति क्या है अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये विवादित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 1.1001 है. ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा पटवार हल्का [illegible] भू-अभि०नि० क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगणों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/07/24 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें व किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। तलबाना अप्रार्थी आज ही पेश करें। बाद [illegible] सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावे। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. [illegible] इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, सम्मन भेजकर [illegible] एक दिवस में पेश करें। अन्यथा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता आज ही पेश करें पत्रावली पुनः दिनांक 30/07/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

बस्सी,जयपुर

726

22/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली इन्तजार तलबी वास्ते हेतु दिनांक 29/8/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित। पत्रावली [illegible] दिनांक 20/9/24 को पेश हो।

...पकारान प्रार्थी हाजिर।
प्रार्थी वकील की T.I. (प्रा०पत्र ग्र२
पर बहस सुनी गयी। पत्रावली
प्रा०पत्र के आदेश हेतु दिनांक
28/8/25 को पेश हो।

28/8 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली वास्ते आदेश हेतु आज
नियत है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों
का अवलोकन एवं प्रार्थी अधिवक्ता
की पूर्व बहस पर मनन पश्चात् पाते
है कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा संख्या
122 रकबा 1.1001 है। स्थित ग्राम
हिरावला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा
तहसील बस्सी प्रार्थी की खातेदार
काश्तकार भूमि है जिसके संबंध
में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद
न्यायालय में विचाराधीन है।
वाद ग्रस्त भूमि के सीमा विवाद
को लेकर प्रार्थी, अप्रार्थीगण को
जरिए अस्थाई से पाबन्द किए
जाने का निवेदन किया है।
वादग्रस्त भूमि प्रार्थी ~~गण~~ की
सहखातेदारी भूमि है जिसका

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है-

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :- उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सह-खातेदारी भूमि है। अतः वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- आराजी भूमि प्रार्थी की सह-खातेदारी भूमि है जिसका अप्रार्थीगण का संबंध खातेदार नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

3. अपूर्णीय क्षति :- चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की सह-खातेदारी भूमि है जिसका अप्रार्थीगण का कोई संबंध-खातेदार नहीं है यदि वादग्रस्त पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा एवम् — दखल अंदाजी करने पर — प्रार्थी की अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		उपरोक्त विवेचन अनुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से — पाबन्द किया जाना उचित होगा। अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act ता फैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम हिरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा के खसरा नं० 122 रकबा 1.1001 हे० के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली नं० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
		(हस्ताक्षर) 28/8/25 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर